भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2104
उत्तर देने की तारीख- 09/12/2024

शिक्षा ऋण के लिए ऋण गारंटी निधि हेतु बजट आवंटन

†2104. श्री राजू बिष्टः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शिक्षा ऋण के लिए ऋण गारंटी निधि हेतु बजट आबंटन का ब्यौरा क्या है;
(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान इस निधि से लाभान्वित होने वाले कुल छात्रों की संख्या तथा विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में भौगोलिक और जनसांख्यिकीय वितरण क्या है;
(ग) उच्च शिक्षा तक पहुंच तथा ऋण चुकौती दरों से संबंधित परिणामों का प्रासंगिक आंकड़ों द्वारा समर्थित ब्यौरा क्या है; और
(घ) शिक्षा ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी निधि की प्रभावकारिता की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए क्या तंत्र मौजूद है और कौन-कौन से प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतकों का पता लगाया गया है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) और (ख): शिक्षा ऋण के लिए ऋण गारंटी निधि योजना (सीजीएफ़एसईएल) के लिए अनुमोदन समिह विधि 3500 करोड़ रुपये है। सीजीएफ़एसईएल के ट्रस्टी, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान 6 लाख से अधिक छात्रों को इस योजना से लाभ मिला है। एनसीजीटीसी के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य में योजना के तहत सहायता प्राप्त करने वाले छात्रों का भौगोलिक और जनसांख्यिकीय वितरण https://www.education.gov.in/parl_ques . पर देखा जा सकता है।

(ग) और (घ): अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) वर्ष 2022-23 (अनंतिम) के अनुसार, वर्ष 2018-19 में उच्चतर शिक्षा में कुल नामांकन 3.74 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में लगभग 4.46 करोड़ हो गया है, जो उच्चतर शिक्षा के नामांकन में लगातार वृद्धि को दर्शाता है, जो देश के योग्य और मेधावी छात्रों को सरकारी सहायता के लिए एक प्रमुख प्रदर्शन संकेतक है।

*****